

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा 4(I) b के अन्तर्गत सूचना

- (i) श्रमायुक्त संगठन उ0प्र0 कानपुर के अधीन जनपद रायबरेली के मोहल्ला सत्यनगर में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय स्थित है। इस विभाग के अन्तर्गत श्रम कानूनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित सभी कार्य देखे जाते हैं तथा इस कार्यालय का दायित्व है कि वह श्रमिकों (गैर सरकारी क्षेत्र) की सभी समस्याओं का नियमानुसार निदान कराये।
- (ii) कार्यालय में नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा श्रम कानूनों के प्रवर्तन का कार्य देखा जाता है तथा सहायक श्रम आयुक्त द्वारा श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत अर्धन्यायिक कार्य देखा जाता है तथा उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत समझौतों का परिपालन कराया जाता है।
- (iii) श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रदत्त निरीक्षक के अधिकार के तहत प्रवर्तन कार्य एवं विहित प्राधिकारी के रूप में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त द्वारा अर्धन्यायिक कार्य किया जाता है।
- (iv) कार्यों को सम्पादित करने के लिये नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर श्रम कानूनों का पालन कराया जाता है।
- (v) सभी श्रम अधिनियमों एवं श्रमायुक्त उ0प्र0 द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों द्वारा कार्य सम्पन्न किया जाता है।
- (vi) दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम – 1962 के अन्तर्गत सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों (नगर पालिका एवं जगर पंचायत के अन्तर्गत जहां उक्त अधिनियम लागू है) का पंजीयन/नवीनीकरण इस कार्यालय द्वारा किया जाता है, जिसके सभी अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध है तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948, वेतन भुगतान अधिनियम-1936 एवं कर्मकार प्रमिकर अधिनियम-1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947, के अन्तर्गत योजित सभी वादों की पत्रावलियां रखी जाती हैं।
- (vii) कोई नहीं।

- (ix) इस कार्यालय में सहायक श्रम आयुक्त के अन्तर्गत श्रम प्रवर्तन अधिकारी वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं पी0सी0सी0 के पद सृजित हैं एवं उन पदों पर उपरोक्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।
- (x) कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, रायबरेली में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतनमान निम्नवत् है—

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान
क	सहायक श्रम आयुक्त	8000—13500
ख	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	5000—8000
ग	वरिष्ठ सहायक	4000—6000
घ	कनिष्ठ सहायक	3050—4950
ङ	पी0सी0सी0	2550—3200

- (xi) इस कार्यालय द्वारा कोई अन्य अभिकरण संचालित नहीं किया जा रहा है।
- (xii) लागू नहीं।
- (xiii) कोई नहीं।
- (xiv) कोई नहीं।
- (xv) कोई नहीं।
- (xvi) संलग्नक के अनुसार।
- (xvii) कोई नहीं।

(मारकण्डेय प्रसाद)
सहायक श्रमायुक्त
रायबरेली।

प्रपत्र

विभाग का नाम :- कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, रायबरेली।

क्रमांक	लोग प्राधिकरण अर्थात शासन के विभाग / निदेशालय / अधीनस्थकार्यालय / निगम / उपक्रम / संस्था / बोर्ड / आयोग आदि का नाम	जन सूचनाधिकारी / सहायक जन सूचनाधिकारी का पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय	अपीलीय अधिकारी का पदनाम व पता	दूरभाष कार्यालय
1.	श्रम विभाग	श्रम प्रवर्तन अधिकारी रायबरेली (जन सूचनाधिकारी)	—	सहायक श्रम आयुक्त उ०प्र० रायबरेली।	—

(मारकण्डेय प्रसाद)

सहायक श्रमायुक्त
रायबरेली।